32/2

अपील क्रमांक 205 / बो.प्र. / नि.स. / 2024 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ट)
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर

दिनांक / 10 / 2024

अपील प्रकरण क्रमांक 205 / बो.प्र. / नि.सहा. / 2024

अपीलार्थी		उत्तरवादी
श्री सुशोभित सिंह, ए–7 सांई बिहार कॉलोनी, साई मंगलम के पास व्यापार विहार, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) मो.नं. 9424166795	विरूद्ध	श्री रविकांत साहू जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 08.10.2024

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री सुषोभित सिंह द्वारा दिनांक 12.09.2024 को ऑनलाईन प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पत्र की सुनवायी आज दिनांक 08.10.2024 को कक्ष क्र.SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 01.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर (छ.ग.) उपस्थित थे तथा अपीलार्थी अनुपस्थित थे ।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत Kindly Provide me with the information about the status of compliance of order dated 4 April 2024 by Chhattisgarh high court fulmati Porte vs state of Chhattisgarh secretary water resources department in WPC 1067 of 2024 kindly provide me information about the award passed in compliance of the order dated 4 April 2024 की जानकारी की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 01.08.2024 को जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण असंतुष्ट होकर उन्होनें दिनांक 12.09.2024 को इस कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन पत्र आनलाइन प्रस्तुत किया है। अपील प्रकरण के परीक्षण उपरांत, प्रकरण की सुनवाई दिनांक 08.10.2024 को समय दोपहर 01.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में निर्धारित कर, सुनवायी में उपस्थित होने बाबत् अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से सूचित किया गया।

3. सुनवाई दिनांक 08.10.2024 को अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। अपीलार्थी द्वारा अपने अपीलीय प्रकरण में उल्लेख किया है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अधूरी/भ्रामक जानकारी दिये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. जनसूचना अधिकारी के तर्क श्रवण किये गये। उन्होंने अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी का ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 220240801000289 दिनांक 01.08.2024 को प्राप्त हुआ। वांछित जानकारी हेतु नस्ती विधि कक्ष को दिनांक 05.08.2024 को प्रेषित की गयी। उक्त नस्ती विधि कक्ष से सूचना का अधिकार कक्ष को दिनांक 05.08.2024 को इस टीप के साथ प्राप्त हुई कि वांछित जानकारी 05 पृष्ठों में समाहित है।जिसका जानकारी शुल्क दस रूपये (05 X2=10/-) जमा करने हेतु आवेदक/अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/134/

......2

छ.ग/2024/7074, दिनांक 20.08.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया। तत्पश्चात आवेदक/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.08.2024 को ऑनलाईन माध्यम से राशि रू. 10.00 जमा करने पर, उन्हें कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/134/छ.ग./2024/7643, दिनांक 05.09.2024 को पंजीकृत डाक से वांछित जानकारी प्रदाय की गयी।

5. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को उनके आवेदन में वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से प्रदान की गयी है या नहीं ? तत्संबंध में अपीलार्थी के आवेदन एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त 5 पृष्ठों की जानकारी का परीक्षण किया गया।

6. आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत Kindly Provide me with the information about the status of compliance of order dated 4 April 2024 by Chhattisgarh high court fulmati Porte vs state of Chhattisgarh secretary water resources department in WPC 1067 of 2024 kindly provide me information about the award passed in compliance of the order dated 4 April 2024 की जानकारी की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जनसूचना अधिकारी ने प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक प्राधिकारी के द्वारा संधारित किये जाने वाले दस्तावेज आवेदक/अपीलार्थी को प्रदान किये, किन्तु अपलार्थी के आवेदन में वांछित शेष जानकारी हेतु संबंधित जनसूचना अधिकारी को पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह आवेदक/अपीलार्थी को नहीं दी गयी।

7. अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी का परीक्षण करने पर स्पष्ट है कि वांछित शेष जानकारी का निकटतम संबंध जनसूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला : बलरामपुर–रामानुजगंज से है। किसी सिंचाई योजना के निर्माण में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित भू–अर्जन प्रकरण तैयार करने से लेकर अवार्ड पारित कर मुआवजा भुगतान हेतु कार्यपालन अभियंता द्वारा भू–अर्जन अधिकारी के पास जमा की गयी राशि एवं उस राशि के विरूद्ध भू–अर्जन अधिकारी द्वारा सिंचाई योजना के निर्माण से प्रभावित भू–स्वामी को किये गये भुगतान की गयी राशि से संबंधित समस्त रिकार्ड लोक प्राधिकारी के रूप में कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला : बलरामपुर–रामानुजगंज एवं उस क्षेत्र के संबंधित भू–अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में संधारित होने वाले दस्तावेज हैं। ऐसे कोई दस्तावेज प्रमुख अभियंता कार्यालय में लोक प्राधिकारी के रूप में संधारित किये जाने वाले दस्तावेज नहीं हैं। अतः जनसूचना अधिकारी को अपीलार्थी/आवेदक को कार्यालय में संधारित किये जाने वाले दस्तावेज प्रदान करने के साथ ही, उनके आवेदन में वांछित शेष जानकारी हेतु जनसूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला : बलरामपुर–रामानुजगंज में पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी जानी चाहिये थी। अतः जनसूचना अधिकारी को सलाह दी गयी कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन में वांछित जानकारी तथा कार्यालय से प्रदान की जा रही जानकारी का सूक्ष्मता पूर्वक परीक्षण कर यथोचित कार्यवाही कर जानकारी प्रदान करें एवं आवेदन में वांछित जानकारी अपूर्ण होने की दशा में शेष जानकारी हेतु संबंधित जनसूचना अधिकारी का उल्लेख करते हुये पृथक आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह, आवेदक को दी जानी चाहिये।

......3

8. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :—

1. जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन में वांछित जानकारी में से लोक प्राधिकारी के रूप में प्रमुख अभियंता कार्यालय में संधारित किये जाने वाले उपलब्ध दस्तावेज 5 पृष्ठों में अपीलार्थी/आवेदक को निर्धारित समय सीमा 30 दिनों में रजिस्टर्ड डाक से प्रदान किये गये। जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन का निराकरण करते समय, कार्यालय में आंशिक जानकारी उपलब्ध होने की दशा में, आवेदन में वांछित शेष जानकारी हेतु पृथक से संबंधित जनसूचना अधिकारी के समक्ष पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह आवेदक को दिये जाने के संबंध में भविष्य में सजग रहने की सलाह दी गयी।

2. अपीलार्थी/आवेदक को सलाह दी जाती है कि यदि वे चाहे तो उनके आवेदन में वांछित शेष जानकारी हेतु जनसूचना अधिकारी/कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग क्र. 2, रामानुजगंज, जिला : बलरामपुर—रामानुजगंज अथवा उस क्षेत्र के भू—अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय के जनसूचना अधिकारी को नियमानुसार पृथक से आवदेन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरूद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लाक, सेक्टर—19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(आलोक कुमार अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

......4

पृ.क्रं./205/बो.प्र./नि.स./2024/ 8804 नवा रायपुर, दिनांक 8 /10/2024

प्रतिलिपिः–

1 अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के बेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।

2 श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, षिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 श्री सुशोभित सिंह, ए–7 सांई बिहार कॉलोनी, साई मंगलम के पास व्यापार विहार, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) मो.नं. 9424166795 email id – advsushobhitsingh@gmail.com की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.),
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)